



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062021-227661
CG-DL-E-17062021-227661

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 17, 2021/ज्येष्ठ 27, 1943

No. 332]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 17, 2021/JYAISTHA 27, 1943

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2021

सा.का.नि. 416(अ).—केंद्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 (जिन्हें इसमें उक्त नियम कहा गया है) के नियम 6 में, उप नियम (6) के पश्चात, निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: —

“(7) जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी भी चैनल का कार्यक्रम, प्रोग्राम कोड के अनुरूप नहीं है, तो वह, केबल ऑपरेटर को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और लिखित में आदेश देकर अधिनियम की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार ऐसे किसी भी चैनल या कार्यक्रम के प्रसारण या पुनः प्रसारण को प्रतिषिद्ध कर सकती है।

3. उक्त नियमों के नियम 7 में, उप नियम (11) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

“(12) जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी भी चैनल का विज्ञापन संहिता के अनुरूप नहीं है, तो वह, केबल ऑपरेटर को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और लिखित में आदेश देकर अधिनियम की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार ऐसे किसी भी चैनल या कार्यक्रम के प्रसारण या पुनः प्रसारण को प्रतिषिद्ध कर सकती है।

4. उक्त नियमों में, नियम 14 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः—

15. शिकायत निवारण संरचना - (1)

प्रसारक द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का अनुसरण और अनुपालन सुनिश्चित करने और उनसे संबंधित परिवेदना या शिकायत, यदि कोई हो को दूर करने के लिए निम्नानुसार तीन स्तरीय संरचना होगी;

- (i) स्तर I - प्रसारकों द्वारा स्वविनियमन।
- (ii) स्तर II - प्रसारकों के स्व-विनियामक निकायों द्वारा स्व-विनियमन।
- (iii) स्तर III - केंद्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण तंत्र।

16. परिवेदना या शिकायत दर्ज करना और कार्रवाई करना - (1) कोई भी व्यक्ति किसी कार्यक्रम की सामग्री के कार्यक्रम संहिता या विज्ञापन संहिता के अनुरूप न होने के कारण असंतुष्ट होने पर प्रसारक को लिखित में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।

परंतु जब ऐसी शिकायत भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा निर्धारित विज्ञापन संहिता से संबंधित हो, तो ऐसी शिकायत उक्त परिषद को भेजी जा सकती है और यह कि परिषद उसके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ऐसी शिकायत पर कार्रवाई करेगी:

परंतु यह भी कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद शिकायत प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर उस पर निर्णय लेगी, और प्रसारक तथा शिकायतकर्ता को सूचित करेगी।

- (2) प्रसारक शिकायत दर्ज होने के चौबीस घंटे के भीतर उस शिकायत को देखेगा और शिकायतकर्ता की सूचना और रिपोर्ट हेतु शिकायत की पावती देगा।
- (3) प्रत्येक शिकायत पर निम्नलिखित तरीके से कार्रवाई की जाएगी, अर्थातः—
 - (क) प्रसारक ऐसी शिकायत प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर शिकायत का निपटान करेगा और शिकायतकर्ता को अपने निर्णय की सूचना देगा;
 - (ख) यदि शिकायतकर्ता को पंद्रह दिन की निर्धारित अवधि के भीतर प्रसारक का निर्णय सूचित नहीं किया जाता है, या शिकायतकर्ता प्रसारक के निर्णय से संतुष्ट नहीं, तो वह उस स्व-विनियामक निकाय को निर्णय की सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर अपील कर सकता है, जिसका वह प्रसारक सदस्य है;

- (ग) स्व-विनियामक निकाय अपील प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर अपील का निपटान करेगा और प्रसारक को मार्गदर्शन या परामर्श के रूप में अपना निर्णय संप्रेषित करेगा, और शिकायतकर्ता को पंद्रह दिन के भीतर ऐसे निर्णय की सूचना देगा;
- (घ) जब शिकायतकर्ता स्व-विनियामक निकाय के निर्णय से संतुष्ट न हो, तो वह ऐसे निर्णय के पंद्रह दिन के भीतर नियम 19 में उल्लिखित निरीक्षण तंत्र के अधीन केंद्रीय सरकार के विचार हेतु उसे अपील कर सकता है।

17. प्रसारकों द्वारा स्व-विनियमन – (1) एक प्रसारक —

- (i) परिवेदना या शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगा और इस पर प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए अधिकारी नियुक्त करेगा;
- (ii) अपनी वेबसाइट या इंटरफेस में उपयुक्त स्थान पर शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित संपर्क विवरण, अपने शिकायत अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण, जैसा भी मामला हो, को प्रदर्शित करेगा;
- (iii) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे अधिकारी प्राप्त प्रत्येक परिवेदना या शिकायत पर पंद्रह दिनों के भीतर निर्णय लेता है और निर्धारित अवधि के भीतर इसे शिकायतकर्ता को सूचित करता है;
- (iv) स्व-विनियामक निकाय का सदस्य हो और इसके नियमों और शर्तों का पालन करें।

2. उप नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी —

- (i) कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता से संबंधित प्राप्त किसी परिवेदना अथवा शिकायत के लिए संपर्क अधिकारी होगा;
- (ii) शिकायतकर्ता, स्व-विनियामक निकाय और केंद्रीय सरकार के साथ संवाद के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।
- (3) प्रसारक स्व-विनियामक निकाय या केंद्रीय सरकार द्वारा इस नियम के अधीन जारी प्रत्येक परामर्श, दिशानिर्देश, आदेश या निर्देश, जैसा भी मामला हो, का पालन करेगा।

18. प्रसारकों के स्व-विनियामक निकाय द्वारा स्व-विनियमन – (1) प्रसारकों या इसके संगमों द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय होने के नाते यहां प्रसारकों के एक या एक से अधिक स्व-विनियामक निकाय हो सकते हैं:

बशर्ते कि प्रत्येक ऐसा स्व-विनियामक निकाय न्यूनतम चालीस प्रसारकों द्वारा गठित किया गया हो।

- (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक स्व-विनियामक निकाय की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकार, मानव अधिकार, या ऐसे अन्य सुसंगत क्षेत्रों के स्वतंत्र प्रख्यात व्यक्ति द्वारा की जाएगी और मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकार, मानव अधिकार और ऐसे अन्य सुसंगत क्षेत्रों में स्वतंत्र विशेषज्ञ होने के नाते अन्य सदस्य अधिमानतः 6 से अधिक नहीं होंगे।
- (3) स्व-विनियामक निकाय, उप-नियम (2) के अनुसार इसके गठन के पश्चात, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर या इसके गठन की तारीख से तीस दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, केंद्रीय सरकार के साथ रजिस्ट्री करेगा।

परंतु यह कि स्व-विनियामक निकाय को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पूर्व केंद्रीय सरकार स्वयं का समाधान करेगी कि स्व-विनियामक निकाय का गठन उप-नियम (2) के अनुसार किया गया है और यह उप-नियम (4) और (5) में निर्धारित कार्यकलापों का निष्पादन करने के लिए सहमत है।

- (4) स्व-विनियामक निकाय निम्नलिखित कार्यकलापों का निष्पादन करेगा, अर्थातः—

- (i) कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का प्रसारक द्वारा अनुपालन तथा गठबंधन की देखरेख और उसे सुनिश्चित करना;
 - (ii) कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के विभिन्न पहलुओं पर प्रसारक को दिशानिर्देश देना;
 - (iii) शिकायतों का निपटान जिन्हें पंद्रह दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर प्रसारक द्वारा नहीं निपटाया गया है;
 - (iv) प्रसारक के निर्णय के विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करना;
 - (v) कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप-नियम (5) में निर्दिष्ट विवरण सहित प्रसारक को ऐसे दिशानिर्देश या परामर्श जारी करना।
- (5) स्व-विनियामक निकाय, उप - नियम (4) में संदर्भित शिकायत या अपील का निपटान करते समय प्रसारक को निम्नलिखित दिशानिर्देश या परामर्श जारी कर सकता है, परामर्श:—
- (i) परामर्श, चेतावनी, निंदा, फटकार लगाना या भर्त्सना करना; या
 - (ii) प्रसारक द्वारा क्षमा याचना का प्रसारण; या
 - (iii) चेतावनी कार्ड या खंडन सहित; या
 - (iv) किसी भी सामग्री के मामले में जहां निकाय इस बात से संतुष्ट हो कि सामग्री को हटाने या संशोधन हेतु कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इसे उपयुक्त कार्रवाई के लिए नियम 19 में निर्दिष्ट निरीक्षण तंत्र को विचार के लिए केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- (6) जहां स्व-विनियामक निकाय का मत है कि इसमें कार्यक्रम संहिता या विज्ञापन संहिता का कोई उल्लंघन नहीं है, यह ऐसे निर्णय को शिकायतकर्ता और प्रसारक को सूचित करेगा।
- (7) जबकि प्रसारक ऐसे दिशानिर्देश या परामर्श का निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्व-विनियामक निकाय के दिशानिर्देश या परामर्श का पालन करने में असफल रहता है, स्व-विनियामक निकाय निर्धारित अवधि की समाप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर मामले को नियम-19 में संदर्भित निरीक्षण तंत्र को प्रस्तुत करेगा।

19. निरीक्षण तंत्र— (1) केंद्रीय सरकार प्रसारक द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के अनुपालन को समन्वय और सुविधा प्रदान करेगी, निरीक्षण तंत्र स्थापित करेगा और निम्नलिखित कार्यकलापों का निष्पादन करेगी, अर्थात: —

- (i) ऐसे निकायों के लिए कार्यप्रणाली संहिता सहित स्व-विनियामक निकाय के लिए चार्टर प्रकाशित करना;
- (ii) परिवेदनाओं या शिकायतों की सुनवाई के लिए अंतर-विभागीय समिति गठित करना;
- (iii) नियम 17 के अधीन स्व-विनियामक निकाय के निर्णय से उत्पन्न परिवेदना या शिकायत या ऐसे अन्य शिकायतों की प्राप्ति पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्व-विनियामक निकाय द्वारा कोई निर्णय न लिया गया हो या कार्यक्रम संहिता या विज्ञापन संहिता के उल्लंघन से संबंधित संदर्भों, जैसा आवश्यक समझे, को अंतर-विभागीय समिति को प्रस्तुत करना;
- (iv) प्रसारकों को उपयुक्त दिशानिर्देश और परामर्श जारी करना;
- (v) प्रसारकों को कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता की देखरेख और अनुपालन के लिए उपयुक्त आदेश और निर्देश जारी करना;
- (vi) अपने और स्व-विनियामक निकाय के आदेशों और निर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए कार्रवाई करना।

20. अंतर-विभागीय समिति - (1) केंद्रीय सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-विभागीय समिति का गठन करेगी और जिसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि और विशेषज्ञों सहित ऐसे अन्य मंत्रालयों एवं संगठनों के प्रतिनिधि, जैसाकि केंद्रीय सरकार निर्णय लें, सम्मिलित होंगे।

- (2) अंतर-विभागीय समिति परिवेदनाओं अथवा शिकायतों की सुनवाई के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करेगी।
- (3) समिति समय-समय पर बैठक करेगी और कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन अथवा विरोध से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगी जो -
 - (i) स्तर - I अथवा स्तर - II पर लिए गए निर्णयों के विरुद्ध की गई अपील से उत्पन्न होते हैं अथवा जहां निर्धारित समय के भीतर ऐसा कोई निर्णय, जैसा भी मामला हो, नहीं लिया गया हो;
 - (ii) केंद्रीय सरकार द्वारा इसे निर्दिष्ट किया गया हो।
- (4) अंतर-विभागीय समिति इसके द्वारा प्राप्त शिकायतों और परिवेदनाओं की जांच करेगी और केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित सिफारिशों में से किसी एक की सिफारिश करेगी, अर्थात :-
 - (i) ऐसे प्रसारक को सलाह देगी, चेतावनी देगी, सेंसर करेगी, भर्त्सना करेगी, फटकार लगाएगी; अथवा
 - (ii) ऐसे प्रसारक से क्षमा याचना अपेक्षित होगी; अथवा
 - (iii) ऐसे प्रसारक से चेतावनी कार्ड अथवा खंडन अपेक्षित होगा; अथवा
 - (iv) ऐसे प्रसारक से सामग्री को हटाने अथवा संशोधित करने अथवा किसी चैनल अथवा कार्यक्रम को निर्दिष्ट समय अवधि के लिए बंद करना अपेक्षित होगा जहां समिति इस बात से संतुष्ट है कि लिखित में दर्ज किए जाने हेतु ऐसी कार्रवाई आवश्यक है।
- (5) केंद्रीय सरकार समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, प्रसारक द्वारा अनुपालन के लिए अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (3) के अधीन उचित आदेशों और निर्देशों को जारी कर सकती है।

21. सूचना का प्रकटीकरण - (1) स्व-विनियामक निकाय और प्रसारक इसके द्वारा प्राप्त की गई सभी परिवेदनाओं अथवा शिकायतों, शिकायतों को निपटाने का तरीका, ऐसी शिकायतों पर की गई कार्रवाई, शिकायतकर्ता को भेजे गए उत्तर, इसके द्वारा प्राप्त किए गए आदेशों अथवा निर्देशों और ऐसे आदेशों अथवा निर्देशों पर की गई कार्रवाई का सही और पूर्ण प्रकटीकरण करेगा।

- (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सूचना सार्वजनिक डोमेन पर रखी जाएगी और त्रैमासिक रूप से अद्यतित की जाएगी।
- (3) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन, प्रसारक न्यूनतम नब्बे दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए इसके द्वारा प्रसारित सामग्री के रिकॉर्ड को संरक्षित रखेगा और इसे स्व-विनियामक निकाय अथवा केंद्रीय सरकार, अथवा किसी अन्य केंद्रीय सरकार की एजेंसी, जैसा कि इसके द्वारा करना अपेक्षित हो, को उपलब्ध कराएगा।

[फा. सं. एन-3104/29/2003- बीसी-III]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2021

G.S.R. 416(E).—In exercise of the powers conferred by section 22 of the Cable Television Networks (Regulation), Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cable Television Networks Rules, 1994, namely: -

1. Short title and commencement-

- (1) These rules may be called the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 6 of the Cable Television Networks Rules, 1994 (hereinafter referred to as the said rules), after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(7) where the Central Government is satisfied that the programme of any channel is not in conformity with the Programme Code, it may, after giving an opportunity of hearing to the cable operator, and by an order in writing, prohibit the transmission or re-transmission of any such channel or programme in accordance with the provisions of section 20 of the Act.

3. In rule 7 of the said rules, after sub-rule (11), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(12) where the Central Government is satisfied that the advertisement of any channel is not in conformity with the Advertising Code, it may, after giving an opportunity of hearing to the cable operator, and by an order in writing, prohibit the transmission or re-transmission of any such channel or programme in accordance with the provisions of section 20 of the Act.

4. In the said rules, after rule 14, the following rules shall be inserted, namely: -

15. Complaint redressal structure - (1) To ensure observance and adherence to the Programme Code and the Advertising Code by the broadcaster and to address the grievance or complaint, if any, relating thereto, there shall be a three-level structure as under:

- (i) Level I - A self-regulation by broadcasters;
- (ii) Level II - Self-regulation by the self-regulating bodies of the broadcasters; and
- (iii) Level III - Oversight mechanism by the Central Government.

16. Filing and processing of grievance or complaint - (1) Any person aggrieved by the content of a programme of a channel as being not in conformity with the Programme Code or the Advertising Code may file his complaint in writing to the broadcaster:

Provided that where such complaint relates to Advertising Code laid down by the Advertising Standards Council of India, such complaint may be addressed to the said Council and that Council shall deal with such complaint in accordance with the procedure laid down by it:

Provided further that Advertising Standards Council of India shall take a decision on the complaint within sixty days of its receipt, and communicate the same to the broadcaster and the complainant.

- (2) The broadcaster shall, within twenty-four hours of complaint being filed, generate and issue an acknowledgement to the complainant for his information and record.
- (3) Every complaint shall be dealt with in the following manner, namely: -
 - (a) the broadcaster shall dispose of the complaint and inform the complainant of its decision within fifteen days of receipt of such complaint;
 - (b) if the decision of the broadcaster is not communicated to the complainant within the stipulated period of fifteen days, or if the complainant is not satisfied with the decision of the broadcaster, he may prefer an appeal to the self-regulating body of which such broadcaster is a member, within fifteen days therefrom;
 - (c) the self-regulating body shall dispose of the appeal within sixty days of receipt of appeal and convey its decision in the form of a guidance or advisory to the broadcaster, and inform the complainant of such decision within a period of fifteen days;
 - (d) where the complainant is not satisfied with the decision of the self-regulating body, he may, within fifteen days of such decision, prefer an appeal to the Central Government for its consideration under the Oversight Mechanism referred to in rule 19.

17. Self-Regulation by broadcasters – (1) A broadcaster shall -

- (i) establish a grievance or complaint redressal mechanism and appoint an officer to deal with the complaints received by it;
- (ii) display the contact details related to its grievance redressal mechanism, the name and contact details of its Grievance officer at an appropriate place on its website or interface, as the case may be;
- (iii) ensure that such Officer takes a decision on every grievance or complaint received by it within fifteen days and communicate the same to the complainant within the stipulated time;
- (iv) be a member of a self-regulating body and abide by its terms and conditions.

(2) The Officer referred to in sub-rule (1) shall –

- (i) be the contact point for receiving any grievance or complaint relating to Programme Code and Advertising Code;
- (ii) act as the nodal point for interaction with the complainant, the self-regulating body and the Central Government.
- (3) The broadcaster shall comply with every advisory, guidance, order or direction issued under this rule by the self-regulating body or by the Central Government, as the case may be.

18. Self-regulation by the self-regulating body of broadcasters. – (1) There may be one or more self-regulatory body of broadcasters, being an independent body constituted by the broadcasters or its association:

Provided that every such self-regulating body shall be constituted by a minimum of forty broadcasters.

- (2) Every self-regulating body referred to in sub-rule (1) shall be headed by a retired judge of the Supreme Court or of a High Court or an independent eminent person from the field of media, broadcasting, entertainment, child rights, human rights or such other relevant fields, and shall have other members, preferably not exceeding six, being independent experts in the field of media, broadcasting, entertainment, child rights, human rights and such other relevant fields.
- (3) The self-regulating body shall, after its constitution in accordance with sub-rule (2), register itself with the Central Government within a period of thirty days from the date of publication of these rules, or within thirty days from the date of its constitution, whichever is earlier:

Provided that before granting registration to the self-regulating body, the Central Government shall satisfy itself that the self-regulating body has been constituted in accordance with sub-rule (2) and has agreed to perform the functions specified in sub-rules (4) and (5).

- (4) The self-regulating body shall perform the following functions, namely: -
 - (i) oversee and ensure the alignment and adherence by the broadcaster to the Programme Code and the Advertising Code;
 - (ii) provide guidance to the broadcaster on various aspects of the Programme Code and the Advertising Code;
 - (iii) dispose of grievances which have not been disposed of by the broadcaster within the specified period of fifteen days;
 - (iv) hear appeals filed by the complainant against the decision of the broadcaster;
 - (v) issue such guidance or advisories to a broadcaster, including those specified in sub-rule (5), for ensuring compliance to the Programme Code and the Advertising Code.
- (5) A self-regulating body while disposing complaint or an appeal referred to in sub-rule (4) may issue the following guidance or advisories to the broadcaster, namely: -
 - (i) advisory, warning, censure, admonish or reprimand; or
 - (ii) an apology to be telecast by the broadcaster; or
 - (iii) include a warning card or a disclaimer; or
 - (iv) in case of any content where it is satisfied that there is a need for taking action to delete or modify content, refer it to the Central Government for the consideration of the oversight mechanism referred to in rule 19 for appropriate action.
- (6) Where the self-regulating body is of the opinion that there is no violation of the Programme Code or the Advertising Code, it shall convey such decision to the complainant and the broadcaster.
- (7) Where the broadcaster fails to comply with the guidance or advisory of the self-regulating body within the time specified in such guidance or advisory, the self-regulating body shall refer the matter to the Oversight Mechanism referred to in rule 19 within fifteen days of expiry of the stipulated period.

19. Oversight Mechanism. - (1) The Central Government shall coordinate and facilitate the adherence to the Programme Code and the Advertising Code by the broadcaster, develop an Oversight Mechanism, and perform the following functions, namely: -

- (i) publish a charter for self-regulating bodies, including Codes of Practices for such bodies;
- (ii) establish an Inter-Departmental Committee for hearing grievances or complaints;
- (iii) refer to the Inter-Departmental Committee grievances or complaints arising out of the decision of the self-regulating body under rule 17, or if no decision has been taken by the self-regulating body within the stipulated time, or on receipt of such other complaints or references relating to violation of Programme Code or Advertising Code as it may consider necessary;
- (iv) issue appropriate guidance and advisories to broadcasters;
- (v) issue appropriate orders and directions to broadcasters for maintenance and adherence to the Programme Code and the Advertising Code;
- (vi) take action for non-compliance of its orders or directions and that of the self-regulating body.

20. Inter-Departmental Committee. - (1) The Central Government shall constitute an Inter-Departmental Committee, chaired by the Additional Secretary in the Ministry of Information and Broadcasting, and consisting of representatives from the Ministry of Women and Child Development, Ministry of Home Affairs, Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of External Affairs, Ministry of Defence, and representatives of such other Ministries and Organisations, including experts, as the Central Government may decide.

- (2) The Inter-Departmental Committee shall devise its own procedure for hearing grievances or complaints.
- (3) The Committee shall meet periodically and hear complaints regarding violation or contravention of the Programme Code and the Advertising Code that may -
 - (i) arise out of appeal against the decisions taken at the Level I or Level II, as the case may be, or where no such decision is taken within the specified time;
 - (ii) be referred to it by the Central Government.
- (4) The Inter-Departmental Committee shall examine complaints or grievances received by it and make any of the following recommendations to the Central Government, namely: -
 - (i) advising, warning, censuring, admonishing or reprimanding such broadcaster; or
 - (ii) requiring an apology of such broadcaster; or
 - (iii) requiring such broadcaster to include a warning card or a disclaimer; or
 - (iv) requiring such broadcaster to delete or modify content or take the channel or a programme off-air for a specified time period where it is satisfied that such action is warranted, for reasons to be recorded in writing.
- (5) The Central Government may, after taking into consideration the recommendations of the Committee, issue appropriate orders and directions under sub-section (3) of section 20 of the Act for compliance by the broadcaster.

21. Disclosure of Information. - (1) A self-regulating body and a broadcaster shall make true and full disclosure of all grievances or complaints received by it, the manner in which the complaints are disposed of, the action taken on such complaints, the reply sent to the complainant, the orders or directions received by it and action taken on such orders or directions.

- (2) The information referred to in sub-section (1) shall be placed in public domain, and updated quarterly.
- (3) Subject to any law for the time being in force, the broadcaster shall preserve record of the content telecast by it for a minimum period of ninety days and make it available to the self-regulating body or the Central Government, or any other Central Government agency as may be requisitioned by it.

[F. No. N-3104/29/2003-BC-III]

VIKRAM SAHAY, Jt. Secy.